

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक ८४९ / गोपनीय / २०२०
दो-२-७ / ५७

जबलपुर, दिनांक २७ अगस्त, २०२०

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-२, ग्वालियर के निवेदनानुसार, उनकी सेवा-पुरितिका एवं सेवा अभिलेख में, उनकी शैक्षणिक योग्यता में एल०एल०एम० की उपाधि अंकित करने की अनुमति एतदद्वारा प्रदान करता है।

आदेशानुसार,


२७.८.२०२०
*(राजेन्द्र कुमार वाणी)
५१ रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक ८५० / गोपनीय / २०२०
दो-२-७ / ५७

जबलपुर, दिनांक २७ अगस्त, २०२०

प्रतिलिपि:-

- १ जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- २ कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-२, ग्वालियर को उनके आवेदन पत्र दिनांक १६.१०.२०१९ के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
- ३ सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस०ए०), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- ४ रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- ५ प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
- ६ एस.जे.ए., गोपनीय शाखा/ डाटा प्रोसेसिंग असिरटेंट, गोपनीय शाखा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को क्रमशः सेवा-अभिलेख एवं वरिष्ठता सूची में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

टिप्पणी :— रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक ०१/०३/२०१८ के द्वारा ट्रांसफर व पोरिटंग संबंधी आदेशों की प्रिटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोरटाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समर्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।


२७.८.२०२०
*(राजेन्द्र कुमार वाणी)
५१ रजिस्ट्रार जनरल